वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 04.07.2024 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर", अमर उजाला, आज,"समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला–दि0 04.07.2024

शहर में नहीं होगी बेसमेंट की खोदाई

वाराणसी। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने बुधवार को सभी जोनल अधिकारियों और अवर अभियंताओं को हिदायत दी। उन्होंने कहा, निर्माणाधीन भवनों का निरीक्षण करें। मानचित्र स्वीकृत कराके बेसमेंट का निर्माण कराने वाले भवनों का निरीक्षण करें। यदि अनधिकृत रूप से निर्माण हो तो उन पर नियमानुसार कार्रवाई करें। बारिश को ध्यान में रखकर संवेदनशील स्थालों पर बेसमेंट की खोदाई न होने पाए। बारिश में बेसमेंट की खोदाई के कारण उसमें पानी भरने से आसपास के भवनों की सुरक्षा को खतरा हो जाता है। ब्यूरो

अमर उजाला–दि0 04.07.2024

वीडीए बोर्ड की बैठक आज

वाराणसी। ट्रांसपोर्ट नगर योजना से जुड़ी समस्याओं का अंत कर जल्द काम शुरू कराया जाएगा। इस योजना में पर्यावरण को ध्यान में रखकर ग्रीन एरिया का विकास किया जाएगा। ट्रांसपोर्टर की सुविधाओं पर विशेष फोकस किया जा रहा है ताकि आने वाले दिनों में कोई समस्या न आने पाए। इसे लेकर वीडीए बोर्ड की बैठक बृहस्पतिवार को बुलाई गई है। ब्यूरो

आज–दि0 04.07.2024

विप्रा उपाध्यक्ष ने बेसमेंट के निर्माण पर लगायी रोक

विप्रा उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने नव निर्मित भवनों में मानचित्र स्वीकृती या बिना स्वीकृती के बेसमेंट निर्माण पर रोक लगा दी है। संबंधित विषय में विप्रा उपाध्यक्ष ने अभियंताओं के साथ बैठक कर उनको निर्देश दिया है कि सभी जोनल अधिकारी और अभियंता अपने-अपने क्षेत्रों में भवनों के निर्माण कार्यों का निरीक्षण करें, और उसमें बन रहे बेसमेंट को तत्काल रोका जाये। उपाध्यक्ष ने कहा कि मानसून की शुरूआत हो चुकी है ऐसे में बेसमेंट में खोदाई के कारण भवनों को पानी से खतरा उत्पन्न हो सकता है और वर्षा के कारण बेसमेंट म पानी भी एकत्र हो जाता है। जिसकी बजह से आस-पास के मकानों में पानी के कारण खतरा उत्पन्न हो सकता है। जिसकी वजह से जान माल की क्षति भी हो सकती है। इन जगहों पर जोनल अधिकारी और अभियंता तत्काल प्रभाव से बेसमेंट का निर्माण रोके।